



~~Entwurf~~  
~~(entwurf)~~  
218

श्री पुकाश दुबे  
ओं वैष्णवता, लक्ष्मी-  
द्वारा प्रदत्त

RtoColl

(+) 19  
55/2018

अधीक्षक  
कलेक्टोरेट, होशंगाबाद

न्यायालय श्रीगंगान अध्यक्ष राजस्व मंडल न्यायालियरूप के द्वारा प्राप्त नोटिस नं ५०५  
निगरानी-३११३/२०१८/विवरण/शुद्ध  
रात्रिमित्रः - /२०१८

राजनीतिक्रम:- /2018

चतुरसिंग पिता गिर्लसिंग राजपती

## ਭਿਕਾਸੀ ਗ੍ਰਾਮ ਅਮਰਿਧਾ ਤਵਹੀਲ-

आगला चिला बैतल १०४०

—निश्चिरा नदता

१-सशीता पिता मिशलशिंग राजपति

२-मंदनी पिता गिरावळिंग राजपति

दोनो निवासी ग्राम उभरिया तहसील-

ଆମ୍ବଲା ଜିଲ୍ଲା କେତଳ ମୋହରୀ

ੴ ਕਾਗਦੀ ਪਿਤਾ ਮਿਸ਼ਨਸਿੰਘ ਰਾਬਰਟ

निवासी ग्राम हिंकरा पौर्ण जाठा पुर

ତହତୀଲ ପାଟ୍ଟଣ୍ଠି ଜିଲ୍ଲା ଚିନ୍ଦବାଡ଼ା ୫୦୫୦୧୦

५-गोन्द सिंह पिता मिसलरिंग राजपति

विवाही गाय उभरिया तहसील आगला

ਪਿੰਡ ਬੈਠਲ ੧੦੫੦

## —उत्तर का दीगण

ਮਿਗੁਰਾ ਜੀ ਅੰਤਰੀ ਧਾਰਾ 5। ਮਾਲਿਆਂ ਵਿਖੇ 1956

निगरा भी कर्ता की ओर से किया है :-

निगरानी कर्ता यह निगरानी अधिनस्थ न्यायालय नायब  
तहसीलदार द्वारा बोरदेही तहसील आगला चिला बैतूल ३५०प्र०० द्वारा  
राजस्व प्रकरण क्रमांक ९६/आर री एम एस/७०/३-२७/२०१६-१७ मौजा  
उभरिया पखार सुझीला किल्ड चतुरसिंग कैरह में पारित आदेह दिनांक  
०७/०३/२०१८ से परिवेदित होकर श्रीमान न्यायालय के तमाज लादर  
प्रस्तुत करता है। जिसमें प्रकरण के तथ्य विस्तार सुनार है :-

# न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश प्रष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3113/2018/बैतूल/भूरा

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28-02-19	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरुद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 20-5-2019 को कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों। उभयपक्ष सूचित हो।</p> <p> </p>	